

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय—आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1373 /2021 रीना कुमारी चौहान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निरतारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खोड़ावेला, पंचायत समिति धरियावाद जिला—प्रतापगढ़ में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा के पद पर तथा उसका पति उससे 100 किलोमीटर दूर राजकीय सेवा में पुलिस विभाग में कान्सटेबल के पद पर डूंगरपुर मुख्यालय में कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसकी तीन वर्ष की छोटी पुत्री होने, और उसके सास—सासुर वृद्ध एवं उसके साथ निवासरत होने व डूंगरपुर जिला मुख्यालय से जिला प्रतापगढ़ में राउप्रावि, खोड़ावेला की दूरी करीब 100 किलोमीटर होने तथा आदागमन हेतु सीधा वाहन न हो कर तीस बसों से डूंगरपुर से आसपुर, आसपुर से साबला, साबला से निठाहुआ व निठाहुआ से करीब छः किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जाना पड़ता है। इससे याचिकार्थिया को ड्यूटी पर उपस्थित होने में काफी परेशानी होने से मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति—पत्नी प्रकरण (यदि पति—पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावें) के आधार पर प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं बोर्ड द्वारा अभिस्तायित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार “निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिले को आवंटित किये जावेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिले के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियां, यथा—महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा—परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन वर्गवार एवं स्वयं के वर्ग की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावें,” के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थिया का बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा भर्ती परीक्षा 2018 में TSP क्षेत्र में नवीन वरीयता क्रमांक 8909 पर वर्ग एवं चयन वर्ग GENF में चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को रिशफल जिला आवंटन दिनांक 10.06.2021 द्वारा उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार प्रतापगढ़ जिला आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम प्राथमिकता पर अंकित प्रतापगढ़ जिले में याचिकार्थिया से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग GENF में अंतिम आवंटित अभ्यर्थी का वरियता क्रमांक 4529 है। इस प्रकार विभाग द्वारा किये गए रिशफल जिला आवंटन द्वारा याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को प्रतापगढ़ जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम—1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थिया द्वारा पति—पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा—2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति—पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा—निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति—पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

*88*  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 27/07/2021

क्रमांक:- शिविरा—मा./संस्था/एफ—2/को.के./जोध/12822/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रतापगढ़
6. याचिकार्थिया रीना कुमारी चौहान शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा, राजप्रावि, खोडावेला, पंचायत समिति—धरियावाद, जिला—प्रतापगढ़ (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

*5.*  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)